GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2018/H/5/14 (Policy) **New Delhi, dated- 11.05.2022**

The General Managers,
All Indian Railways.
(Including PUs and RDSO).

Sub: Change of medical fitness category of Assistant Works of Engineering Department from B-1 to C-1 medical standard—Reg.

Ref: (i) This office letter No. 99/H/7/1/NR dated 30.06.2003. (RBE No. 8 of 2003)
(ii) Board's letter No. 2018/H/5/17(Policy) dated 17.12.2018.
(iii)This office letter no. of even number dated 25.05.2018.

*****

Details of non-gazetted post falling in different medical classifications over Indian Railways was circulated vide Board's letter cited under references.

RRB/Bhopal has requested for change of medical fitness category of different posts. After detailed consideration in the matter, Pay Commission Directorate has advised that the proposal of the RRB needs consideration.

After careful consideration in the matter in consultation with user departments, it has been decided, with the approval of Competent Authority that the medical classification of **Assistant Works of Engineering Department** be changed from **B-1 to C-1** medical classification.

Accordingly, the post of Assistant Works of Engineering Department will henceforth be categorized in medical classification C-1.

For considered decision on the future of the medical classification of existing employees, it is mentioned that the existing employees' current guidelines and medical category will remain the same. The amended categories will be applicable to the newly recruited entrants after notification.

Advance Correction Slip to Para 510 of IRMM 2000 is attached herewith.

K Sridhar
(Dr. K Sridhar) /(डॉ के श्रीधर)
Exe. Dir., Health (G)/का. नि., स्वा.(स)
Railway Board/रेलवे बोर्ड

......Contd.

https://www.staffnews.in

Advance Correction Slip to Para 510 of IRMM 2000

Medical classification for posts of **Assistant Works of Engineering Department** would have been classified in **B-1 medical standard will be catagorised as C-1** medical standard from now onwards.

(Authority Board's letter No. 2018/H/5/14 (Policy) dated: 11.05.2022)

https://www.staffnews.in

No. 2018/H/5/14 (Policy) New Delhi, dated-11.05.2022

Copy to:-

1. Principal Chief Medical Director(s)/Chief Medical Officer(s) All Indian Railways (Including PUs & RDSO).
2. Principal Chief Engineer, All Indian Railways (Including PUs & RDSO).
3. Sr. Professor, NAIR, Vadodara.

(Dr. K Sridhar) /(डॉ के श्रीधर)
Exe. Dir., Health (G)/का. नि., स्वा.(स)
Railway Board/रेलवे बोर्ड

No. 2018/H/5/14 (Policy) New Delhi, dated-11.05.2022

Copy to:-

1. Advisor/MR, EDPG/MR,OSD/MR,OSD/Coord/MR, AdditionalPS/MR.
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary, Railway Board

Copy to:-

E(NG) I&II, E(RRB) & E(P&A) of Railway Board, New Delhi.

https://www.staffnews.in

2018/एच/5/14 (पॉलिसी)
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2008/एच/5/14 (पॉलिसी) **नई दिल्ली, दिनांक 11.05.2022**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।
(उत्पादन इकाइयों और अ.अ..मा.सं. सहित)

विषय:- इंजीनियरी विभाग के सहायक निर्माण की चिकित्सा स्वस्थता कोटि का बी-1 से सी-1 चिकित्सा मानक के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में।

संदर्भ:- (i)इस कार्यालय का दिनांक 30.06.2003 का पत्र सं. 99/एच/7/1/एनआर (2003 का आरबीई सं. 8)
(ii) बोर्ड का दिनांक 17.12.2018 का पत्र सं. 2018/एच/5/17 (पॉलिसी)
(iii) इस कार्यालय का दिनांक 25.05.2018 का समसंख्यक पत्र।

*****

भारतीय रेलों पर अलग-अलग चिकित्सा वर्गीकरणों में आने वाले अराजपत्रित पदों का विवरण बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत परिपत्रित किया गया था।

रेल भर्ती बोर्ड/भोपाल ने अलग-अलग पदों की चिकित्सा स्वस्थता कोटि में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध किया है। इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद, वेतन आयोग निदेशालय ने यह सूचित किया है कि रेल भर्ती बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इस मामले में उपयोगकर्ता विभागों के परामर्श से ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि **इंजीनियरी विभाग के सहायक निर्माण** के चिकित्सा वर्गीकरण को **बी-1 से सी-1** चिकित्सा वर्गीकरण में परिवर्तित किया जाए।

तदनुसार, इंजीनियरी विभाग के सहायक निर्माण का पद अब से चिकित्सा वर्गीकरण सी-1 के रूप में कोटिकृत किया जाएगा।

https://www.staffnews.in

मौजूदा कर्मचारियों के चिकित्सा वर्गीकरण के भावी निर्णय पर विचार करने के लिए, यह उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा कर्मचारियों के वर्तमान दिशानिर्देश और चिकित्सा कोटि वही रहेंगे। संशोधित कोटियां, अधिसूचना के बाद नए भर्ती किए गए प्रतियोगियों पर लागू होंगी।

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 510 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची इसके साथ संलग्न है।

K. Sridhar

(डॉ. के. श्रीधर)
कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

https://www.staffnews.in

2018/एच/5/14 (पॉलिसी)

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 510 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

इंजीनियरी विभाग के सहायक निर्माण के पदों के लिए चिकित्सा वर्गीकरण को **बी-1 चिकित्सा मानक में** वर्गीकृत किया गया है और अब आगे से **सी-1** चिकित्सा मानक के रूप में कोटिकृत किया जाएगा।

{प्राधिकार बोर्ड का दिनांक 11.05.2022 का पत्र सं. 2018/एच/5/14 (पॉलिसी)}

K. Sridhar

https://www.staffnews.in

सं. 2008/एच/5/14 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 11.05.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों और अ.अ.मा.सं. सहित)।
2. प्रधान मुख्य इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों और अ.अ.मा.सं. सहित)।
3. सीनियर प्रोफेसर, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

K. Sridhar

(डॉ. के. श्रीधर)

कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2008/एच/5/14 (पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 11.05.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सलाहकार, रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, विशेष कार्याधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्याधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्पलाइज़ वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

नवीन कुमार

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

ई(एनजी) । एवं ।।, ई(आरआरबी) एवं ई(पीएंडए), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

https://www.staffnews.in